न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना आई.ए.एस.

अपील संख्या : 253/2014 अपील एल.आर.एक्ट

1. मलकीतसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति मजहबी निवासी 26 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानागर

अपीलांट्स

—बनाम—

1 बूटासिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति मजहबी निवासी 25 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. इन्द्रजीतसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति मजहबी निवासी 25 आर. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. हरजिन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति मजहबी निवासी 25 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. जोगेन्द्र कौर बेवा पूर्णसिंह जाति मजहबी निवासी 25 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला गंगानगर।
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये उप तहसीलदार राजस्व गजसिंहपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोन्डेन्ट्स

उपस्थित :— श्री सुरेश मोहता — अभिभाषक अपीलांट्
श्री सुभाष सहू — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक: 11—11—2019

1. यह प्रथम अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप तहसीलदार, गजसिंहपुर के निर्णय दिनांक 17—09—2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता स्व. पूर्णसिंह पुत्र केसरसिंह को चक 25 आर बी तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 35 के 6—200 हैक्टेयर रकबा अलाट हुई जिसमें से उन्होने अपने जीवन काल में दिनांक 19—4—2006 को 10 बीघा भूमि की रजिस्ट्रेड वसीयत अपीलांट के हक में करवा दी। पिता के देहान्त दिनांक 01—01—2007 के बाद अपीलांट वसीयत की रूह से 10 बीघा का वारिस हकदार हुआ तथा शेष 15 बीघा के अपीलांट व रेस्पोडेंट 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के हकदार हुये तथा अपीलांट के कब्जे में 13 बीघा भूमि चल रही है। वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाये जाने की दरखास्त पेश किये जाने पर उप तहसीलदार गजसिंहपुर ने रेस्पोडेंट के गलत एतराज एवं गलत शपथ पत्रों के आधार पर खारिज कर दिया गया। उक्त सम्पति पिता की स्वअर्जित थी पिता को वसीयत

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

करने का कानूनन हक व अधिकार था तथा वसीयत रजिस्टर्ड है। रेस्पोडेंट ने वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनोती नहीं दी है। अदालत मातहत को 10 बीघा भूमि का इन्तकाल वसीयत के आधार पर तथा 15 बीघा भूमि का इन्तकाल विरास्तन दर्ज करने के आदेश दिये जाने चाहिऐ थे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त करने तथा वसीयत के आधार पर नाम अपीलांट के इन्तकाल दर्ज करने का आदेश फरमावें।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट नं. 1 ता 4 के निमित साधारण सम्मन एवं रजिस्टर्ड एडी सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेंट नं 1 व 2 के निमित जारी रजिस्टर्ड एडी सम्मन लिफाफा लौटकर प्राप्त नहीं हुआ। रेस्पोडेंट नं. 3 के निमित जारी सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। रेस्पोडेंट नं 4 के सम्मन रजिस्टर्ड लिफाफे पर लेने से इन्कार की रिपोर्ट प्राप्त हुई। परन्तु रेस्पोंडेंट नं 1 ता 4 न तो स्वंय उपस्थित आये और ना ही उनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थित आये।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट् के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो के बिन्दुओं को दोहराते हुए बहस कर कहा कि चक 25 आर बी तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 35 के 6–200 हैक्टेयर अपीलांट के पिता की स्वअर्जित भूमि थी। उसके पिता ने अपने जीवन काल में 10 बीघा भूमि की रजिस्ट्रेड वसीयत अपीलांट के हक में की थी। पिता के देहान्त के बाद अपीलांट वसीयत की रूह से 10 बीघा का वारिस हकदार हुआ तथा शेष 15 बीघा के अपीलांट व रेस्पोडेंट 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के हकदार हुये। अपीलांट द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाये जाने की दरखास्त पेश किये जाने पर उप तहसीलदार गजसिंहपुर ने रेस्पोडेंट के गलत एतराज एवं गलत शपथ पत्रों के आधार पर दरखास्त खारिज कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त कर वसीयत के आधार अपीलांट के नाम इन्तकाल दर्ज करने का आदेश फरमावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस कर कहा कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स ने वसीयत के संबंध में एतराज पेश किया है तथा वसीयत के गवाह जेठाराम ने भी लिखित में वसीयत के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है। अतः वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6. हमने पत्रावलियों में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक का मुख्य तर्क यह है कि उसके पिता ने अपने जीवन काल में स्वअर्जित भूमि में से 10 बीघा भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत अपीलांट के हक में की थी। पिता के देहान्त के बाद अपीलांट

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वसीयत की रूह से 10 बीघा तथा शेष 15 बीघा के अपीलांट व रेस्पोडेंट 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के हकदार होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को नहीं मान कर सक्षम न्यायालय से अपने खातेदारी हक प्राप्त करने हेतु विधिवत आदेश प्राप्त करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया जो गलत है। 10 बीघा भूमि वसीयत के आधार पर तथा शेष 15 बीघा भूमि को वारिसान दर्ज किया जाना चाहिऐ।

राजकीय अभिभाषक के तर्क एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अनुसार मृतक की भूमि का नामान्तरकरण वसीयत के अनुसार नहीं करने के संबंध में उसके वारिसानों द्वारा एतराज किया गया है। पटवारी हल्का 77 आर बी की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर मौके पर कब्जा वारिसानों का है। वसीयत के गवाह जेठाराम पुत्र श्री बीरूराम ने प्रार्थना पत्र दिनांक 19–5–2009 जो दिनांक 26–5–2009 को न्यायालय तहसीलदार राजस्व, रायसिंहनगर में पेश किया गया है के अनुसार मलकीतसिंह पुत्र पूर्णसिंह उसे कचहरी में मिला और उसने पिता की भूमि को एक साल के लिए आगे ठेका पर देनी है, कहकर गवाही करवाई है। पूर्णसिंह द्वारा की गई वसीयत पर कोई गवाही करवाई है तो उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। उल्लेख किया है। न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स द्वारा वसीयत के संबंध में एतराज पेश किये गये है तथा वसीयत के गवाह ने भी लिखित में वसीयत के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है। अपीलांट वसीयत को पूर्ण रूप से साबित करने में असफल रहा है। अतः वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उप तहसीलदार, गजसिंहपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–9–2009 में आंशिक संशोधन कर उप तहसीलदार, गजसिंहपुर को निर्देशित किया जाता है कि मृतक के वारिसानों की जांच कर प्रश्नगत भूमि का वारिसान नामान्तरकरण दर्ज किया जावें। अपीलांट सक्षम सिविल न्यायालय से वसीयत प्रोवेट (Probet) करवाने हेतु चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है।

तद्नुसार अपील निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11–11–2019 लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.11.14 17:36:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: